न्यायालय प्रथम अपील अधिकारी एंव जिला कलेक्टर ,टोंक

प्रकरण संख्या 91/2025

श्री रामधन मीणा निवासी ग्राम यशोदानन्दनपुरा पोस्ट तुर्किया तहसील निवाई जिला टोंक पिन–304025 ––अपीलार्थी

बनाम

राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ––प्रत्यर्थी

अपील अन्तर्गत धारा 19(1) सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

<u>निर्णय</u> दिनांक **04.12.2025**

प्रकरण का संक्षेप में तथ्य इस प्रकार है कि अपीलार्थी ने सूचना के अधिकार अधिनियम के तहत आनॅलाईन अपील पेश की है। अपीलार्थी द्वारा राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को आवेदन पत्र दिनांक 01.06.2025 को प्रेषित/प्रस्तुत कर निम्न वर्णित सूचना चाही गईः–

मुझे निम्नानुसार सूचना प्रदान करने की कृपा करें –

1 उप तहसील कार्यालय दत्तवास में कुल कितने कार्मिक कार्यरत है पदानुक्रम अनुसार सूची प्रदान करें।

2 उप तहसील कार्यालय दत्तवास में प्रत्येक कार्मिक के आने का समय क्या हैं एवं जाने का समय क्या हैं।

3 उप तहसील कार्यालय दत्तवास में पदस्थ कार्मिको को कार्यालय में आने के बाद मोबाईल चलाने हेतु कितना समय निश्चित किया गया हैं।

4 उक्त लोकसेवकों द्वारा 1 फ़रवरी 2025 से लेकर आज दिनांक तक कौन कार्मिक किस – किस दिनांक को शासकीय कार्यस्वरूप मुख्यालय पर उपस्थित नहीं रहें हैं।

5 उक्त लोकसेवको हेतु कब–कब CL,OL,CCL का प्रयोग किया गया हैं।

6 उक्त लोक सेवको हेतु कार्यस्थल पर कार्य करते समय दोपहर में इंटरवल करने का कोई प्रावधान शासन द्वारा निर्धारित हो तो उसकी प्रतिलिपि देने की कृपा करें।

7 उप तहसील कार्यालय दत्तवास में 'लोक सेवा गारंटी' कानूनों का पालन किया जाता हैं या नहीं।

अपीलार्थी को निर्धारित समयावधि में सूचना उपलब्ध नहीं होने पर प्रत्यर्थी के विरूद्ध अपील प्रस्तुत की गई है। अपील दर्ज रजिस्टर कर अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक को पत्र कमांक 1971 दिनांक 09.10.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। अपीलार्थी को सुनवाई हेतु तलब किया गया। अपीलान्ट उपस्थित नही हुए। राज्य लोक सूचना अधिकारी एंव अति0 जिला कलेक्टर टोंक ने पत्र कमांक 987 दिनांक 24.10.2025 से जवाब प्रेषित किया है कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचनां का संबंध लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास से होने से उनके पत्र कमांक 983 दिनांक 16.10.2025 से प्रार्थना पत्र अन्तरित करते हुए पत्र कमांक 984 दिनांक 16.10.2025 से अपीलान्ट को सूचित किया गया है। अपील प्रा0पत्र की छायाप्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास को पत्र कमांक 2064 दिनांक 29.10.2025, 2162 दिनांक 11.11.2025 व 2307 दिनांक 27.11.2025 को प्रेषित कर रिपोर्ट तलब की गई। लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास ने आज दिनांक तक कोई जवाब प्रेषित नही किया गया है। जिससे स्पष्ट है कि आवेदक को वांछित सूचना उपलब्ध नही करवाई गई। जबकि सूचना का अधिकार

756

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

जिला कलेक्टर
टोंक

अधिनियम 2005 में सूचना उपलब्ध कराने की अवधि 30 दिवस निर्धारित की हुई है। अतः अपीलार्थी उनके द्वारा आवेदित सूचना प्राप्त करने का अधिकारी है।

फलतः अपील अपीलान्ट स्वीकार की जाकर लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास को निर्देशित किया जाता है कि वह अपीलार्थी को उनके द्वारा आवेदित सूचना/सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के तहत दी जाने योग्य सूचना निर्णय की प्रति प्राप्ति से 20 दिवस में निःशुल्क उपलब्ध करावें। निर्णय की प्रति लोक सूचना अधिकारी एंव नायब तहसीलदार दत्तवास तथा अपीलार्थी को प्रेषित की जावे।

न्यायालय जिला कलेक्टर टोंक (राजस्थान)

(कल्पना अग्रवाल)
प्रथम अपील अधिकारी
एंव जिला कलेक्टर टोंक

जिला कलेक्टर
टोंक